

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल-मनेर के सोन नदी पर पटना सोन बालू कलस्टर-1A (घाट संख्या-1, 2, 3 एवं 4) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

दिनांक 24.09.2020 को आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में राज्य स्तरीय समाघात-निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा श्री वीजेन्द्र कुमार सिंह, श्री भीम प्रसाद, श्री रंजीत कुमार राय एवं श्री वीजेन्द्र कुमार को निर्गत टी0ओ0आर0 पत्र संख्या-SIA/1(a)/1005/2020, 1008/2020, 1025/2020 दिनांक 22.07.2020 एवं पत्र संख्या-SIA/1(a)/ 1006/2020, दिनांक 21.07.2020 के आलोक में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा0), पटना (जिलाधिकारी पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक-सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक: 22.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्टॉर्नसिबिलिटी (सी.ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बताया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढक कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत परियोजना

लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यों में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :-


1. श्री बीजेन्द्र कुमार, आनंदपुर द्वारा बालू उत्खन्न एवं परिवहन से सड़कों के किनारे धूलकणों की समस्या के निराकरण करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, आनंदपुर द्वारा सड़कों के किनारे एवं सार्वजनिक स्थल पर फलदार वृक्ष के लगाने एवं कामगारों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।
3. श्री गुड्डु कुमार, आनंदपुर द्वारा सी.ई.आर. के तहत सूर्यमठ में समुदायिक सुविधा की व्यवस्था करने एवं परिसर में फलदार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया।
4. श्री राम कुन्दन कुमार, आनंदपुर ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
5. श्री राकेश कुमार, सुअरमरवा द्वारा सड़कों के गढ़दो की मरम्मत करने का सुझाव दिया जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

लोक-सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड-19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जो प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत होने वाले व्यय को स्थानीय लोगों के अनुसार करना चाहिए। इस खर्च का अनुश्रवण भी होना चाहिए, ताकि इसका सदुपयोग हो।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।


(मनोरंजन कुमार सिंह)
सहाय वैज्ञानिक पदाय
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद


(एस.पी.राय)
पर्यावरण अभियंता
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद


(विनायक मिश्र)
अपर जिला दण्डाधिकारी,
पटना

उपस्थिति सूची

श्री वीजेन्द्र कुमार, श्री भीम प्रसाद, श्री रंजीत कुमार राय द्वारा पटना जिला, अंचल- मनेर के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-1A) सोन घाट- 1, सोन घाट- 2, सोन घाट- 3, एवं सोन घाट- 4 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020 (गुरुवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न में आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	ऊपर जिला कार्याधिकारी	M 24/09/2020
2.	एस-जी-राय	पर्यावरण अभियंता खिहार शांतिपुर निबंधन, पटना	by you 24-9-2020
3.	मनांजन कुमार सहित	बिहार राज्य प्रमुख नियंत्रण पथिक 4287	M 24/9/20
4.	कुंठा कुंठा		M
5.	मो० शशिदत्तामनाथ		Shashidatta
6.	रंघीर कुमार	आनंदपुर	रंघीर
7.	निकाश कुमार		Nikash Kumar
8.	Amit Kumar	Anandpur	Amit
9.	उपेन्द्र कुमार	आनंदपुर	उपेन्द्र कुमार
10.	अजीत कुमार	आनंदपुर	Ajit Kumar
11.	मुकेश	आनंदपुर आनंदपुर	Mukesh
12.	शर्मिश्चरार		शर्मिश्चरार
13.	सकलदीप	आनंदपुर	सकलदीप
14.	अजित कुमार	आनंदपुर	अजित कुमार
15.	अजीत कुमार	आनंदपुर	अजीत कुमार
16.	विशेष राय	आनंदपुर	विशेष राय
17.	गुड्डू राय	आनंदपुर	गुड्डू राय
18.	Rahish Kumar	Anandpur	Rahish Kumar

19.	लवकुश कुमार	आनन्दपुर	लवकुश कुमार
20.	राधामोहन राय a	आनन्दपुर	राधामोहन राय a
21.	मुकुश कुमार	आनन्दपुर	मुकुश कुमार
22.	शैलनाथ राय	आनन्दपुर	शैलनाथ राय
23.	राजमोहन राय	आनन्दपुर	राजमोहन राय
24.	जामा खिखे कर्मा	आनन्दपुर	जामा खिखे कर्मा
25.	कमलेश्वर राय	आनन्दपुर	कमलेश्वर राय
26.	पप्पु कुमार	आनन्दपुर	पप्पु कुमार
27.	मिचलेश्वर कुमार	आनन्दपुर	मिचलेश्वर कुमार
28.	बहादुर कुमार	आनन्दपुर	बहादुर कुमार
29.	अमथ कुमार	आनन्दपुर	अमथ कुमार
30.	अजीत कुमार	आनन्दपुर	अजीत कुमार
31.	आवधेश कुमार	आनन्दपुर	आवधेश कुमार
32.	हिंसत कुमार	आनन्दपुर	हिंसत कुमार
33.	रजित भाद्रव	आनन्दपुर	रजित भाद्रव
34.	बालमिक राय	आनन्दपुर	बालमिक राय
35.	बबन भाद्रव	आनन्दपुर	बबन भाद्रव
36.	दुलन भाद्रव	आनन्दपुर	दुलन भाद्रव
37.	आरिपलेश कुमार	आनन्दपुर	आरिपलेश कुमार
38.	कमेश्वर भाद्रव	आनन्दपुर	कमेश्वर भाद्रव
39.	शैलेश्वर राय	आनन्दपुर	शैलेश्वर राय
40.	शुनील कुमार	आनन्दपुर	शुनील कुमार
41.	मोहन साह कुमार	आनन्दपुर	मोहन साह कुमार
42.	मुना कुमार	आनन्दपुर	मुना कुमार

43.	जगदीश भाद्रव	आनन्दपुर	जगदीशभाद्रव
44.	मुना साव	आनन्दपुर	मुना साव
45.	बैजनाथ साव	आनन्दपुर	बैजनाथ साव
46.	राहुल कुमार	आनन्दपुर	राहुल कुमार
47.	विवेक कुमार	आनन्दपुर	विवेक कुमार
48.	शिवप्रथम राय	आनन्दपुर	शिवप्रथम राय
49.	रामप्रथम कुमार	आनन्दपुर	रामप्रथम कुमार
50.	मुनारीक भाद्रव	आनन्दपुर	मुनारीक भाद्रव
51.	मुसल भाद्रव	आनन्दपुर	मुसल भाद्रव
52.	जगदीश भाद्रव	आनन्दपुर	जगदीश भाद्रव
53.	Rishina Kharoy	Anandpur	Rishina
54.	मुकेश कुमार	आनन्दपुर	मुकेश कुमार
55.	रजेश भाद्रव	आनन्दपुर	रजेश भाद्रव
56.	विनय भाद्रव	विनय भाद्रव आनन्दपुर	विनय भाद्रव
57.	विकी कुमार	आनन्दपुर	विकी कुमार
58.	शैवान कुमार	आनन्दपुर	शैवान कुमार
59.	विमल भाद्रव	विमल आनन्दपुर	विमल भाद्रव
60.	विनोद कुमार	आनन्दपुर	विनोद कुमार
61.	विकाश कुमार	सुशास्त्रवा	विकाश कुमार
62.	बुद्धेय राय	चौरासी	बुद्धेय राय
63.	विनय कुमार	चौरासी	विनय कुमार
64.	पंन्दरी राय	चौरासी	पंन्दरी राय
65.	विमल भाद्रव	विमल भाद्रव	विमल भाद्रव
66.	Ankit Kumar	Anandpur	Ankit Kumar

67.	मुना कुमार	चौरासी	मुना कुमार
68.	सुरज कुमार	चौरासी	सुरज कुमार
69.	उमेश कुमार	सुमेल	उमेश कुमार
70.	अश्विनीका चादप	दुआखरवा	अश्विनीका चादप
71.	शंतोष कुमार	चौरासी	शंतोष कुमार
72.	विनोद शाव	चौरासी	विनोद शाव
73.	भीसम शाव	चौरासी	भीसम शाव
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			